सं. 6221 /यूपीनेडा–एसई–पीएम कुसुम(घटक–सी2)/2022
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दिनॉक : 03/2/ , 2023

कार्यालय–ज्ञाप

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश सं0 1335/87–755–अति0ऊ0स्रो0 वि0/2022 दिनांक 23.11.2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2022" का प्राख्यापन किया गया है।

2. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश सं0 1465/87–2022–755–अति0 ऊ0 स्रो0 वि0 /2022 दिनांक 08.12.2022 से उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2022 के प्राविधानों एवं प्रोत्साहनों के अनुसार प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की स्थापना, विकास एवं उनके कियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

3. उक्त दिशा–निर्देश के बिन्दु–17 में सौर ऊर्जा नीति–2022 में उपलब्ध व्यवस्थानुसार निम्न उल्लेखित हैः–

"उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत राज्य में एमएनआरई की पी0एम0 कुसुम योजना के घटक (सी–2) के अधीन जारी प्राविधानों/दिशा–निर्देशो के अनुसार पृथक कृषि विद्युत फीडरों के सौर ऊर्जीकरण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार से अधिकतम रू. 50.00 लाख प्रति मेगावाट की दर से वाईबिलिटी गैप फण्ड (वीजीएफ) उपलब्ध कराया जायेगा। एम0 एन0 आर0 ई0/राज्य सरकार के दिशा–निर्देशो के अनुसार परियोजना आवंटन प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग (वीजीएफ/टैरिफ आधारित) के माध्यम से किया जायेगा।"

4. सौर ऊर्जा नीति–2022 में उपलब्ध व्यवस्थानुसार एवं निर्गत दिशा–निर्देश के बिन्दु–17 के अनुपालन हेतु पृथक कृषि विद्युत फीडरों के सौर ऊर्जीकरण हेतु चयनित परियोजना विकासकर्ता को अधिकतम रू. 50.00 लाख प्रति मेगावाट की दर से देय वीजीएफ निम्नानुसार अवमुक्त किया जायेगा :–

(i) परियोजना विकासकर्ता को यूपीपीसीएल के साथ निष्पादित पावर परचेज अनुबंध (पीपीए) अनुसार कुल परियोजना क्षमता की कमिशनिंग एवं सीओडी (Commercial Operation Date) प्राप्ति के पश्चात एवं यूपीपीसीएल की संस्तुति पर कुल देय वीजीएफ की 75 प्रतिशत धनराशि यूपीनेडा द्वारा परियोजना विकासकर्ता को अवमुक्त की जायेगी।

.....2/–

(ii) शेष 25 प्रतिशत वीजीएफ धनराशि निष्पादित पीपीए के अनुसार अर्थात सीओडी से प्रत्येक 01 वर्ष के उपरांत देय वीजीएफ धनराशि की 5 प्रतिशत धनराशि आगामी 05 वर्षो तक यूपीपीसीएल द्वारा निष्पादित पीपीए में निर्धारित मानको और परियोजना के सफल संचालन एवं रखरखाव की संस्तुति के उपरांत यूपीनेडा द्वारा परियोजना विकासकर्ता को अवमुक्त की जायेगी।

(अनुपम शुक्ला)
आई0ए0एस0
निदेशक,यूपीनेडा।

सं. 6221 /यूपीनेडा–एसई–पीएम कुसुम–(घटक सी2)/2022 दिनांक 03/2/23

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को संज्ञानार्थ प्रेषित।

1. अध्यक्ष, यूपीपीसीएल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य परियोजना अधिकारी/सचिव, यूपीनेडा।
4. वरि.परि. अधि.–2 (कुसुम योजना), यूपीनेडा, मुख्यालय।

(अनुपम शुक्ला)
आई0ए0एस0
निदेशक,यूपीनेडा।